



## भारतीय लोकतंत्र पर आतंकवाद का आघात

Dr Alka

Commissionerate College Education ,  
Government of Rajasthan,Jaipur

प्रस्तावना :-

भारतीय लोकतंत्र पर आघात: आतंकवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया' के अध्ययन पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सर्वसम्मत सर्वहितकारी और प्रभावी निर्णय क्षमता है या नहीं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में तो निर्णय कदापि उपर से नहीं थोपे जा सकते और अच्छे निर्णयों की सही पहचान है कि समाज और राजनीति का कितना बड़ा वर्ग उन्हें समर्थन प्रदान करता है। यदि उदार एवं संवैधानिक साधनों से व्यक्ति एवं समुदाय शासन संचालन में हिस्सेदारी चाहते हैं तो वे सरकार के विभिन्न अंगों में सक्रिय भागीदारी अदा करके या जाति, धर्म, भाषा के आधार पर संगठन बना करके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन साधनों द्वारा नीति निर्माताओं तक आवाज नहीं पहुंचती तो फिर उस प्रदर्शनात्मक मार्ग ही अपना पड़ता है। (1) स्वतंत्रता के उपरान्त के वर्षों में भारतीय राजनीति में रैली बन्द, जुलूस, हड़ताल, उग्र प्रदर्शन जन आन्दोलन आदि आम बात है।

लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रदर्शन और जन आन्दोलन जनमत को प्रकट करने का एक तरीका है और वह लोकतंत्रीय भावनाओं के प्रसार का प्रमुख उपकरण है हमारे देश में जन आन्दोलन की राजनीति सूत्रपात का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया जा सकता है किन्तु उनकी मान्यता थी कि शांति, प्रेम और अहिंसा से ही सब समस्याएँ हल की जा सकती हैं किन्तु आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यवाहियों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगें मनवाना है। आतंकवादी वह है जो अपनी मांगें मनवाने के लिये चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज सरकार पर दबाव डाले कन्वेंशन ऑफ़ प्रिंसेपल एण्ड पनीशमेंट 1937 द्वारा आतंकवाद को उन शब्दों में परिभाषित किया गया है। आतंकवाद का अभिप्राय उन अपराधिक कृत्यों से जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस के मन में भय या आतंक पैदा करना हो"

**संकेत शब्द :-** निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक, अहिंसा, समाज

**भारत में आतंकवादी गतिविधियां :-**



आतंकवाद की दृष्टि से आज के भारत में स्थिति जितनी कष्टप्रद और चिन्ताजनक है वैसी स्थिति इसके पूर्व कभी नहीं थी। भारत में आतंकवाद की शुरुआत तो स्वतंत्रता के बाद ही हो गई। आतंकवाद का उदय उत्तरी-पूर्वी भारत (नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुरा में हुआ। सर्वप्रथम आतंकवादी संगठन संभवतया अंगामी जापू फिजो की नागा नेशनल कॉंसिल था। इस संगठन के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैण्ड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिये गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। शीघ्र ही विशेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी०एल०ए०) और लालडेंगा की मिजो नेशनल फण्ट (एम एन एफ) की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में भी फैल गया। इन आतंकवादियों द्वारा प्रमुख रूप से गुरिल्ला लड़ाई की पद्धति को अपनाया जा रहा था। इन आतंकवादी को पड़ोसी देश चीन और म्यांमार) से शस्त्र सामग्री, गुरिल्ला युद्ध का सैनिक प्रशिक्षण और शरण की सुविधा प्राप्त होती रही है। अंततः राजीव लालडेंगा समझोते के साथ ही मिजोरम में आतंकवाद की स्थिति लगभग समाप्त हो गई।

**जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद:-** जम्मू और कश्मीर राज्य देश के विभाजन के उपरान्त से ही पाक कूटनीतिक चाल का प्रमुख केन्द्र बिन्दु होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धान्त की उसकी संकल्पना के अनुसार यह 1947 के विभाजन को हमेशा अधूरा मानता रहा है। उसने इस राज्य को हथियाने के लिये बार बार प्रयत्न किये अनेक बार घुसपैठ, तीन बार युद्ध करके और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर जम्मू और कश्मीर में अभी तक कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जमायत उल मुजाहिदीन, जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फण्ट आदि । पाक द्वारा घुसपैठ, भाडे के विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण में बढ़ोतरी कर उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बलों पर एवं अल्पसंख्यकों पर हमले करवाना शफिदायीन आत्मघाती दस्तों का निरन्तर प्रयोग उग्रवाद जारी रखने के लिये धन प्रवाह एवं जाली मुद्रा में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय युवकों को उग्रवादी गतिविधियों में अधिकाधिक शामिल करने पर जोर दिया गया है जिससे वह स्वदेशी रूप से धारण कर सकें ।

13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर हमला भारतीय लोकतंत्र की नींव पर हमला है । अब तक 65000 से भी ज्यादा कश्मीरी नागरिकों एवं भारतीय सुरक्षाकर्मियों की जाने गई है किन्तु आज भी इस समस्या का शांति पूर्ण समाधान नहीं निकल पाया है।

**पंजाब में आतंकवाद:-**



भारत में आतंकवादी कार्यवाही का अधिक चिन्ताजनक रूप शसिख आतंकवाद के रूप में देखा गया । भिण्डरावाले के संरक्षण में सिखों के अग्रवादी संगठनो ऑल इंडिया सिख स्टूडेन्ट्स फ़ैडरेशन और दशमेरा रेजीमेन्ट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी। वे लोग मोटर साईकिल पर सवार होकर हत्याये करने, बम विस्फोट करने की ओर संलग्न हुये 1984 में जन सिख आतंकवादियों की गतिविधियां अपने शीर्ष पर पहुंच कर तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केन्द्र स्वर्णमंदिर में सेना का प्रवेश करवाया । इस कार्यवाही में बडी संख्या में सिख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया परन्तु 30 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवाद का परिणाम श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में स्तब्ध कर गया । 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता सम्पन्न हुआ, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त 1985 में ही संत लोंगोवाल की हत्या कर दी गई । फरवरी 1992 के चुनावों के बाद अत सिंह पंजाब में शांति बहाल करने में लगे हुये थे । उनकी भी हत्या अगस्त 1996 में कर दी गई। अभी हाल ही में 27 जुलाई 2015 में दीनानगर के पुलिस थाने पर हमला और अब 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के एयरबेस पर हमला यह बताता है कि पाक के जेहादियों का फोकस कश्मीर से हटकर पंजाब की तरफ हो गया है।

रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सटीन का कहना है कि आतंकवाद के जरिये पंजाब में दोबारा मिलिटेंसी भडकाने की कोशिश हो रही है। पंजाब की पाक के साथ लम्बी 480 किलोमीटर सीमा है जहां पर कई ऐसी जगह है जहां से घुसपैठ हो सकती है। पंजाब में भारी संख्या में ड्रग्स धकेले गये है ताकि ग्रामीण क्षेत्र एवं नौजवानो में इनकी घुसपैठ हो सके । ड्रग्स, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही एक परिवार का शासन तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जैसी घटनाओ के कारण लोगो तथा सत्तारूढ अकाली-भाजपा गठबंधन की सरकार पंजाब को कमजोर कर गई है। यदि पंजाब को पुनः अपने पांव पर खड़ा करना है तो तस्करो, अधिकारियो एवं राजनेताओ के गठजोड को तोडना होगा । हालांकि पाक द्वारा जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और इनमें इसका सरगना मसूद अजहर भी शामिल है। इसे भारत के सफल कूटनीतिक दबाव का नतीजा माना जा रहा है, किन्तु भी हमे सीमाओ पर की जा रही घुसपैठ से चौकन्नारहना होगा ।

### असम में आतंकवाद :-

असम में 1947 से ही पाक के पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी बंगाल) से व्यक्तियों का आना जारी था । 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिये आन्दोलन और बाद में स्वाधीन बांग्लादेश की स्थापना से असम में आने वाले अवैध घुसपैठियों की संख्या लाखो में हो गई । विदेशियों की



अवैध घुसपैठ से असमवासियो ने अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन एवं सांस्कृतिक पहचान के लिये संकट महसूस किया और 1979 से ही अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद ने विदेशियो को असम से वापस भेजने की मांग कोलेकर आंदोलन प्रारम्भ कर दिया । 15 अगस्त 1985 में 'असम समझौता' सम्पन्न हुआ । 1989 के अन्तिम महीनो में असम में एक नया आतंकवादी संगठन शउल्फाश खड़ा हो गया । इस संगठन ने अपना लक्ष्य घोषित किया असम के सम्प्रभु राज्य की स्थापना अर्थात् भारतीय संघ से अलग सम्प्रभु असम राज्य की स्थापना' । भारत सरकार ने उत्फा में हिंसक आन्दोलन, जबरन वसूली अपहरण के कारण इसे शअशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके विरुद्ध ऑपरेशन बजरंग नाम से सैनिक कार्यवाही की । इसके उपरान्त 1991 में ही ऑपरेशन राइनो संचालित किया गया । वर्ष 1996 में बोडो उग्रवाद भी अग्र रहा । बोडो सुरक्षा बल का नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फण्ट ऑफ बोडोलैण्ड किया गया, जो भी अनेक हिंसक गतिविधियो के लिये जिम्मेदार रहा । त्रिपुरा राज्य में 15 जनजाति उग्र समूह सक्रिय है जिनमें नेशनल लिबरेशन फण्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाईगर्स फोर्स सबसे अधिक सक्रिय है ।

#### नक्सलवादी आतंकवाद:-

नक्सलवादी आतंकवाद का आशय है, माओत्से तुंगा के कान्तिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद जो अपना लक्ष्य शसामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना बताता है । सव प्रथम 1967-71 वर्षों में बंगाल बिहार और पवबंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया है । नक्सलवादियो ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुये जन कान्ति पर बल दिया और इसके लिये प्रमुख तरीका अपनाया भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध प्रद्धति के आधार पर भूमिपंथियो के विरुद्ध खूनी संघर्ष । सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रयासो से 1972-73 तक नक्सलवादी आतंकवाद का यह दौर एक बारगी तो बहुत शिथिल पड गया, लेकिन वर्तमान समय में आन्ध्र, बिहार महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में पुनः नक्सलवादी हिंसा की स्थिति है । विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश का तेलगांना क्षेत्र नक्सलवादी हिंसा से बहुत अधिक ग्रस्त है । नक्सलवादी संगठन पीपुल्स वार ग्रुप (Peoples war group) आन्ध्र मे विशेष रूप से सक्रिय है । यह आतंकवाद भूमिपतियों द्वारा किये गये अन्याय के प्रति आक्रोश है ।

#### तमिलनाडू में आतंकवाद:-

1985-90 के वर्षों में तमिलनाडू में तटवर्ती क्षेत्र में कई जगह तमिल टाईगर्स का राज है । एल०टी० टी०ई० को मई 2000 में विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है ।



## आतंकवाद का मूलभूत कारण:-

शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियों के कारण आतंकवाद अपनी जड़े जमा चुका है। हमने सामाजिक-आर्थिक न्याय केवल नारे ही लगाये हैं, उस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया है। राज्य विधान मण्डलो ने अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए हैं परन्तु वह लागू नहीं हो पाये हैं। भूमिहीन मजदूरों तथा उनके नेताओं ने विश्वास कर लिया है कि संगठित असंगठित हिंसा ही उन्हें न्याय दिला सकती है। भारत में शिक्षित-अशिक्षित, पूर्ण एवं अर्धबेरोजगारों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। बेरोजगार व्यक्ति मेहनत मजदूरी या नौकरी के आधार पर सुविधाजनक जीवन जीना कठिन पाता है तो तस्करी और नशीले पदार्थों के व्यापार की ओर आकर्षित होते हैं नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त नवयुवक आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि भयानक और आधुनिकतम शस्त्र अवैध रूप से निर्मित और विक्रय किये जाते हैं। 1958 ने केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया था कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने करेंगे। इसके बावजूद निजी उद्योगों को बड़ी संख्या में हथियार बनाने के लाइसेंस कैसे प्राप्त होने लगे, इसकी जांच होनी चाहिये। भारत में तो स्थिति यह है कि अत्यन्त आधुनिक प्रकार के हथियार चोरी छिपे खरीदे जा सकते हैं जिनमें ए0 के0 47 क्लासिफिकोव रूसी राईफल और एम-1 अमरीकी मशीन पिस्तौल जैसे अत्यन्त घातक हथियार भी शामिल हैं।

लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक एवं शासित में मध्य निरन्तर सम्पर्क की स्थिति होनी चाहिये शासन को जनता के दुखदर्द के प्रति संवेदनशील होना चाहिये, किन्तु भारत के शासक वर्ग में इसका अभाव देखा गया है। चुनाव में जीतने के उपरान्त वे विलासी और शानशौकतपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भारत के शासक वर्ग शांतिपूर्ण ढंग से कही गई बात को नितान्त अनसुना कर देते हैं परन्तु एक छोटा जन समूह भी जब शक्ति की भाषा अपनाता है, तब उसकी अनुचित बात पर भी ध्यान दिया जाता है। मायटन वीनर लिखते हैं भारत में सरकार दबाव गुटों की मांगों पर उस समय तक ध्यान नहीं देती, जब तक कि जन आन्दोलनों के माध्यम से वे अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते। सरकार मांगों को इसलिये नहीं मानती कि ये न्यायोचित हैं, अपितु इसलिये मानती है कि मांग करने वाले समूह ने शासन को ऐसा करने के लिये बाध्य कर दिया है। (5) आज के आतंकवाद के लिये दलीय राजनीति चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग को भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिये अपराधी एवं आतंकवादी तत्वों को



प्रश्रय देते हैं । केन्द्र के शासक दल की रूचि विपक्षी दल की राज्य सरकार के लिये परेशानिया खडी करने एवं उसे गिराने मे है तथा विपक्षी दलो की रूचि केन्द्र में शासक दल के विरुद्ध नित्य नये षडयन्त्र करने में है ।

गोरखालैण्ड या बोडोलैण्ड चाहे जो भी मसला हो, भारत के राजनीतिज्ञ उसे चुनावी राजनीति का मोहरा बना कर जन भावनाओ को उभार देता है और वहां पर आतंकवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है । पिछले लगभग कई वर्षों में संवैधानिक प्रावधान राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान (अनुच्छेद 356) का खुला दुरुपयोग किया गया है। पंजाब में जब भी विपक्षियो की सरकार बनी, उसे केन्द्र ने किसी न किसी बहाने बर्खास्त कर दिया । अकाली दल की विसंगति यह है कि वे सत्ता प्राप्त न होने पर खालिस्तान की मांग कश्मीर राज्य को 1984 में फारूख को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दे देते है। इसी प्रकार कर दिया गया एवं 1998 को अब्दुल्ला सरकार को बिना किसी उचित कारण के उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को अपना बहुमत सिद्ध किये बगैर ही बर्खास्त करना लोकतांत्रिक मान्यताओं का स्पष्ट उल्लंघन था ।

इन कारणो से जनमानस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास खो देना है और आतंकवाद पनपने लगता है । इसके अतिरिक्त शासक वर्ग की कथनी और करनी में जो भारी भेद है उससे भी नवयुवक वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञो और अन्य नव धनाढ्यो के वैभव और शान शौकत को देखकर भौंचक्का है। राजनीतिज्ञो उच्च नौकरशाहो एवं उद्योग व व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर उसके मन मानस में देशहित की भावना कमजोर हो गई है। वह मौज मस्ती का जीवन जीने के लिये तस्कर माफिया एव अपराधी तत्वों के साथ जुड रहा है । एक बार आतंकवाद का उदय होने के उपरान्त उसे समाप्त कर पाना तभी सम्भव हो सकता है जबकि प्रशासन की विभिन्न ईकाईयो पुलिस बल सीमा सुरक्षा बलो एवं अर्द्धसैनिक बलो में उचित सहयोग हो राजनीतिक कार्यपालिका की कोई स्पष्ट नीति हो, न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि आतंकवादी तत्काल दण्डित हो और निरपराधी शीघ्र मुक्ति प्राप्त करें । भारत को इसके लिये प्रयास करने होंगे । न्याय प्रक्रिया जटिल एवं लम्बी होने के कारण भारत में साधन सम्पन्न अपराधी के लिये कानून एवं न्याय के शिंकजे से मुक्ति पाना बहुत अधिक सरल हो जाता है दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति के पास वकील, जमानत आदि की व्यवस्था न होने से वह जेल में वर्षों तक सड़ता रहता है । इस स्थिति में व्यक्ति आकोशित होकर आतंकवादी बन जाता है ।

आर्थिक क्षेत्र में भारत के विभिन्न क्षेत्रो में भारी अर्थिक असंतुलन है। महाराष्ट्र सम्पन्न राज्य होते हुये भी इसका विदर्भ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक सम्पदा होते हुये भी इसका लाभ उसे कम अंशो में ही प्राप्त



हुआ है। बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पवबंगाल आदि भी विकास की दृष्टि से पीछे है। जम्मू कश्मीर यदि उत्तर पूर्वी राज्यों को केन्द्र सरकार ने पिछले कई वर्षों में अरबों खरबों का अनुदान दे चुकी है। परन्तु कुटीर उद्योग धन्धों एवं लघु उद्योगों का जाल बिछा कर आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। भारत के आतंकवादी गुटों का विदेशी शक्तियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त होता रहता है जैसे नागा और मिजो विद्रोहियों को चीन एवं वर्मा का तथा जम्मू कश्मीर एवं पंजाब आतंकवादियों को पाकिस्तान का बड़ी बड़ी हिंसात्मक गतिविधियों को भल ही एक व्यक्ति अंजाम दे दे लेकिन आतंकवादी एक मुहिम के रूप में आतंक फैलाने का काम वगैर व्यापक नेटवर्क के नहीं चला सकते हैं उन नर्सरियों से लेकर जो बच्चे युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित करती हैं ओर उन्हें मारक मशीन के रूप में ढालती हैं— कूरियर संदेशवाहकों हथियारों और विस्फोटकों के आपूर्तिकर्ताओं हथियारों और विस्फोटकों की खरीद के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये व्यापार करने वालों तक उनके अलावा आतंकवादियों को जरूरत होती है, ऐसे लोगों की, जो सरकार का अंग रहते हुये भी उन्हें न केवल आवश्यक सूचनायें पहुंचाये वरन् जरूरत पड़ने पर मदद भी करे साथ ही मीडियों को भी धोखे में रख सकें। आतंकियों ने कई मोर्चे ना रखे हैं यथा मदरसे, मस्जिद, अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र, चौरिटी फाउंडेशन 11 सितंबर की घटना की छानबीन के दौरान अमेरिका और अन्य देशों को जिन क्षेत्रों पर नजर गड़ानी पड़ी, उससे जाहिर होता है कि आतंकवाद वैश्विक स्तर पर किस तरह जब जमा चुका है। 11 सितंबर की घटना में उन्होंने जिस तरीके से हवाई जहाजों को मिसाइल के रूप में उड़ाया था उससे जाहिर होता है कि आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। जितनी कुशलता से वे इन्टरनेट का प्रयोग अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये धन एकत्र करने के लिये और उसे स्थानान्तरित करने के लिये विस्फोटक और जहर तैयार करने से लेकर हत्याओं को अंजाम देने, अपना लक्ष्य बैधने और डाटा चुराने तक के तरीकों को अपने पूरे नेटवर्क तक फैलाने के लिये, जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिये जाली क्रेडिट कार्ड तैयार करने के लिये उससे उनके अत्याधुनिक होने की बात सिद्ध हो सकती है। आतंकी संगठन अपने नेटवर्क और उनकी तकनीक को अधिक कुशल बनाने के लिये

पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के माध्यम से भारत के खिलाफ जो परोक्ष युद्ध चलाया जा रहा है, उसके प्रति विश्व को जागरूक करना अत्यन्त कठिन रहा है। अमेरिका या यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भारत से प्रमाण मांगते थे कि इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है अमेरिका और यूरोपीय देशों के इन नेताओं का यह ढोंग एक ही क्षण में तब टूट गया जब 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और पेंटागन पर हमला हुआ। जब प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी हमारे देश में हजारों लोगों की जान ले रहे थे तब हम



विश्व समुदाय के समक्ष यह साबित नही कर पाये कि इनके पीछे पाक का हाथ है। ऐसे में जब आतंकवादी वायरस के माध्यम से हमला करेंगे तो यह साबित करना हमारे लिये और भी मुश्किल होगा। आतंकवादी विचार धाराओ को बल देने के लिये इनमें एक और घातक तथ्य जुड़ गया है— पाक जैसे राष्ट्र आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना चुके हैं। मुशर्रफ तो कई बार अपने बयानों में इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं— जिहाद राष्ट्रीय नीति का एक साधन है। ऐसे राष्ट्रों के लिये तो यह एक आकर्षक विचारधारा है, जो इस तरह के साधनों से चलती है, जिसमें बंदूक की संस्कृति का प्रसार किया जाता है, पर अंततः वह विफल हो जाती है— जैसे पाकिस्तान के तालिबानीकरण से देखने को मिलता है। लेकिन यदि कोई देश राष्ट्रनीति के साधन के रूप में आतंकवाद को अपनाता है तो निस्संदेह यह अपने पड़ोसी देशों के हितों को कुचलते हुये यह फैसला करता है।

आतंकवादी संगठनों को पाक से लेकर सूडान तक कई देशों द्वारा संरक्षण मिल रहा है। किन्तु ये संगठन सिर्फ वहीं नहीं फलते फूलते हैं, जहां की सरकार उन्हें सक्रिय मदद देती है, उनके लिये तो जिस देश की सरकार कमजोर पड़ जाती है, उसी की सरजमीं उपयोगी साबित होती है। हमारे पड़ोस में तो ऐसे क्षेत्रों की भरमार हैकू बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल और फिर भारत तो है ही। बांग्लादेश का इस्लामीकरण इसका एक कारण तो है ही, उसका पाक एवं चीन के साथ संबंध तथा स्वयं बांग्लादेश में शासन की ढांचागत कमजोरी भारत की सुरक्षा के लिये एक खतरा है। बांग्लादेश दवा उत्पादक देशों के गोल्डन ट्राइएंगल (Golden Triangle) और शस्त्र उत्पादक देशों के गोल्डन कीसेंट (ठवसकमद बतमेबमदज) के मध्य स्थित है। बांग्लादेश से हमारे लिये समस्या का जब है— आई० एस० आई (I.S.I.) डी. जी. एफ.आई (D.G.F.I.) बांग्लादेश सेना तथा इस्लाम पंसद संगठनों द्वारा सक्रिय सहयोग।

## निष्कर्ष:-

पिछले कुछ वर्षों में हमने जिस आतंकवाद का मुकाबला किया है, वह पाकिस्तान द्वारा निर्देशित प्रायोजित, सुसज्जित और वित्त प्रदत्त था लेकिन आज यह अल्जीरिया से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुये मलेशिया और इंडोनेशिया सहित फिलिपींस तक अपने पांव पसार चुका है। आज जिस आतंकवाद से पूरा विश्व जूझ रहा है वह एक स्थायी युद्ध की तरह हो गया है। यदि हमें इस चिरकालिक युद्ध से निपटना है तो सर्व प्रथम हमें हम छोटे से छोटे विद्रोही तत्वों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अब तक अनेक समूह आतंकवाद में संलिप्त हो गये हैं। न सिर्फ भारत में वरन् पूरे विश्व में वे सभी आपस में तेजी से जुड़ रहे हैं। दो दशक पूर्व तक स्थिति यह थी कि नशीली दवाओ और स्वर्ण की तस्करी में जो समूह



संलिप्त थे, वे एक दूसरे से भिन्न थे । उनका आतंकी समूहो से कोई संबंध नही था परन्तु आज परिस्थितियों बदल गई है। सभी समूह आपस में एक दूसरे से जुड गये है । आई० एस० आई० या ऐसा कोई संगठन किसी एक संगठन को स्वयं से जोड़ लेता है और फिर पूरे नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना लेता है। मुद्दा चाहे भर्ती का हो या वैचारिक समर्थन का या अपनी योजना को कार्यरूप देने का इसी नेटवर्क का सहारा लिया जाता है। उसे मुम्बई बम विस्फोट के लिये आतंकवादियों द्वारा आर० डी० एक्स० भेजने की आवश्यकता नही रह गई है, जो गैंग सोने की तस्करी कर रहा है, वही बहुत कुशलता से आर० डी० एक्स० भी गंतव्य तक पहुंचा देगा ।

### संदर्भ सू च:-

- 1- आमण्ड तथा पावेल कम्परेटिव पॉलिटिक्स, पृष्ठ 77
- 2-डॉ० पुखराज जैन भारतीय राज० व्यवस्था पृष्ठ 301
- 3 पंजाब केसरी 14 जनवरी 2017 पृष्ठ 4
- 4-वार्षिक रिपोर्ट, 1996-97 भारत सरकार, गृह मंत्रालय आन्तरिक सुरक्षा राज्य तथा गृह विभाग, पृष्ठ 10
- 5-मायनर वीनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी 1968 पृष्ठ 215
- 6-डा० पुखराज जैन, वही, पृष्ठ 400
- 7- अरुण शौरी पाकिसतान बाग्लादेश आतंकवाद के पोषक प्रभात प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ 174
- 8-गिलमोर कमीशन की रिपोर्ट जो एक सलाहकार समिति द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के रूप में दिसम्बर 1999 में रखी गई थी इसमें जैविक हथियारों के खतरे के संबंध में बताया गया है।
- 9- नवंबर 1999 में यू०एस०ए०ए० एयर बार कॉलेज में प्रस्तुत केनिय एलीवेक की रिपोर्ट बायोलॉजिकर वीस के अंतर्गत
- 10-अरुण शौरी, वही पृष्ठ 201